झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या......61....... वर्ष 20...23..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य
ग्रा०- बमनगुटू, पो० - केरा
पं०- सिमीदीरी, प्र०- चक्रधरपुर
प० सिंहभूम

बनाम

प्रतिवादी DSO. पश्चिमी सिंहभूम।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–61/2023

परिवादी श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटू, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादीगण द्वारा PDS डीलर श्री गौरीशंकर सिंहदेव, अनु0 सं0–47/91 के विरूद्ध प्रति माह 02 कि0ग्रा0 राशन की कटौती करने, One Nation One Ration card का लाभ नहीं मिलने एवं इसकी शिकायत उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के समक्ष करने के बाद भी माह जुलाई से अक्टूबर, 2023 तक 04 माह का राशन अप्राप्त रहने की शिकायत की गई है। साथ ही राशन डीलर द्वारा कार्ड सरेन्डर करा दिये जाने का भी आरोप लगाया गया है।

प्राप्त अपील आवदेन पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–17.11.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–61 / 2023

17.11.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटु, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम आयोग कार्यालय में उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग में उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता अनुपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि इस वाद में उन्हें 15 दिनों का समय दिया जाए, ताकि वे इस वाद से सम्बन्धित सभी तथ्य आयोग के समक्ष पेश कर पाएँ।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे सम्बन्धित सभी तथ्य लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से समर्पित करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–61/2023

15.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य शिकायतकर्त्ता ग्राम–बमनगुट, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को प्रतिवेदन भेजा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस बात का उल्लेख किया है कि सभी शिकायतकर्त्ता द्वारा पिछले छः महिने से राशन का उठाव नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण नियमानुसार अयोग्य/अपात्र राशन कार्डधारियों की छँटनी हेतु पत्र एक प्राप्त हुआ था, जिस पर संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार/मुखिया/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर का हस्ताक्षर प्राप्त है, जिसके आलोक में छँटनी कार्य किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर जब शिकायतकर्त्ता को इस आशय की जानकारी दी गई तो शिकायतकर्त्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बिल्कुल गलत जानकारी दी है, क्योंकि राशन कार्ड रद्द किये जाने से पूर्व वो नियमित तौर पर राशन का उठाव कर रहे थे। यदि शिकायतकर्त्ता की बात सही है, तो ये एक गम्भीर विषय है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गलत जानकारी देकर क्या गुमराह करने की कोशिश की है ? ऐसे में आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो अपने राशन कार्ड की छाया प्रति आयोग को WhatsApp के माध्यम से भेजें और ये भी बतायें कि उनका राशन कार्ड कब रद्द किया गया है और कब तक वो नियमित तौर पर राशन लेते रहे ? इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस बीच सभी शिकायतकर्त्ताओं का ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि का कहना है कि ग्रीन कार्ड में आवंटन आने में दो महिने का वक्त लगेगा। तत्पश्चात् ही राशन उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से ये जानना चाहता है कि यदि गलत वजहों से या आपसी रंजिश के तहत् शिकायतकर्त्ता का राशन कार्ड रद्द किया गया है तो शिकायतकर्त्ता को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो अभी तत्काल सभी शिकायतकर्त्ता अपने राशन कार्ड की फोटो खींच कर आयोग को प्रेषित करें ताकि आज ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि को हाथो–हाथ राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी जा सके। यदि राशन कार्ड में लगातार राशन लेने का प्रमाण प्रमाणित होता है, तो ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायतकर्त्ता को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और जिस अवधि का राशन उन्हें नहीं मिला है और जबसे राशन

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

मिलना प्रारम्भ होगा उस दौरान उन्हे सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराना होगा। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा रखे गये तथ्य (छः माह से राशन नहीं ले रहे थे) ये प्रमाणित होता है तो फिर आयोग ये मानेगा कि राशन कार्ड रद्द करने की प्रकिया वैधानिक थी।"

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-12-2023	**वाद सं0–61 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटू, पो0–केरा, पं0–सिमीदीरी, प्र0–चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। आयोग इस आदेश की प्रति अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को भेजते हुए निदेशित करता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग के 15.12.2023 के आदेश के आलोक में कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत करायेंगे और जिन राशन कार्डधारियों का गलत तरीके से राशन कार्ड रद्द किया गया है उन्हें कार्ड रद्द किये जाने की अवधि के बाद से अबतक उतना राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जितना उन्हें प्राप्त होना था। और आयोग के आदेश के आलोक में इस बात की भी जांच प्रतिवेदन समर्पित करें कि किनकी मिली भगत से शिकायकर्ताओं का राशन कार्ड डिलीट किया गया है। आयोग के आदेश का अनुपालन यदि नहीं हुआ तो आयोग अपर समहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारम्भ करने को बाध्य होगा। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को भेज दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–61 / 2023

11.01.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटु, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम आयोग कार्यालय में उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम सुनवाई में उपस्थित हैं। उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री का जिला भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित रहने के कारण पिछले सुनवाई में समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आज अपना प्रतिवेदन पत्रांक–952 दिनांक–13.12.2023 के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, जिसमें शिकायतकर्ताओं के राशन कार्ड रद्द होने की वजह प्रमाण सहित बताई है। दूरभाष के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता का भी कहना है कि आयोग के पिछले आदेश के बाद उन्हें MO ने बुलाकर 06 माह का राशन उपलब्ध करा दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके पास पूर्व में जो राशन कार्ड था, वही राशन कार्ड दोबारा निर्गत किया जाए।

आयोग शिकायतकर्ता को यह बताना चाहता है कि राशन कार्ड बनाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसमें आयोग किसी प्रकार का निर्देश निर्गत नहीं कर सकता। चूंकि शिकायतकर्ता की समस्या का निदान कर दिया गया है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।